प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 04.08.2026

धोखाधडी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

अपराधों पर अंकुश लगाने एंव अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सहजनवां संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उ0नि0 धीरेन्द्र यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 674/26 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्त दयानन्द यादव पुत्र राम प्रसाद यादव निवासी ग्राम निबरहर थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की फाइनेन्स कम्पनी में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत अभियुक्त द्वारा समूह की महिलाओं को विश्वास में लेकर उनके बैंक खाते खुलवाकर ओटीपी आदि की जानकारी प्राप्त की गयी। तत्पश्चात अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी एवं कूटरचना के माध्यम से समूह की महिलाओं के बैंक खातों से लाखों रुपये निकाल लिये गये तथा रुपये लेकर फरार हो गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दयानन्द यादव पुत्र राम प्रसाद यादव निवासी ग्राम निबरहर थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 26/674 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बी0एन0एस0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 धीरेन्द्र यादव थाना सहजनवां गोरखपुर
2. का0 नितिन चौधरी थाना सहजनवां गोरखपुर
3. रि0का0 रजत कुमार चौरसिया थाना सहजनवां गोरखपुर